राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 249

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 15 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

निर्मला बोलीं इकोनॉमी के लिए नहीं रुकेंगे सुधार के कदम

>> 12

सरोकार

22 गांवों की बेटियों के लिए फरिश्ता बना एक पूर्व सैनिक

जींद : हरियाणा के जींद जिले के गांवों की 200 से अधिक छात्राओं के लिए

पूर्व सैनिक और पूर्व अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज विनोद समरा ने दो निशुल्क बसें शुरू की हैं। अब बेटियां सुरक्षित हो आसानी से जाती हैं स्कूल-कॉलेज। (पेज-10)

जागरण विशेष

आइआइवीआर का हरी मिर्च पाउडर जल्द बाजार में होगा

वाराणसी : देश के एक मात्र भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान

(आइआइवीआर) ने सभी वैज्ञानिक एवं वैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हरी मिर्च का पाउडर तैयार कर लिया है। पेटेंट हो चुका है और यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। (पेज-15)

न्यूज गैलरी

नेशनल कैपिटल ▶ पृष्ठ 2

केजरीवाल ने पीएम को दिया शपथ ग्रहण समारोह का न्योता

नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 फरवरी को रामलीला मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि पीएम समारोह में शामिल होंगे या नहीं। इस बीच, राष्ट्रपति ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

दागियों पर कोर्ट के निर्देशों का होगा पालन : चुनाव आयोग

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा कि वह राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले दिल से स्वागत करता है। आयोग ने कहा है कि चुनावी लोकतंत्र में सुधार के लिए वह नए नैतिक मापदंड तैयार करेगा। उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड के बारे में मौजूदा नियमों में जल्द बदलाव किए जाएंगे।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 5

मैच फिक्सिंग का आरोपित चावला तिहाड़ भेजा गया

नई दिल्ली : क्रिकेट जगत के सबसे बड़े मैच फिक्सिंग प्रकरण के आरोपित संजीव चावला को हाई कोर्ट ने जेल भेजने को कहा है। निचली अदालत ने उसे 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। क्राइम ब्रांच ने चावला को लंदन से लाकर कोर्ट में पेश किया था और गुरुवार को 12 दिन की रिमांड पर लिया था।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

एक अप्रैल के बाद देश में नहीं बिकेंगे बीएस-चार वाहन

नई दिल्ली: देश में एक अप्रैल के बाद बीएस-चार गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकी बिक्री के लिए एक माह की मोहलत देने की ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन की मांग ठुकरा दिया। देश में बीएस-चार के मानकों को अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था।

'देश में कानून नहीं रह गया है...बंद कर दें कोर्ट'

सख्त रुख ▶ टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने संबंधी डीओटी अधिकारी के पत्र पर सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणी

डीओटी के आदेश पर भी कंपनियों ने शुक्रवार रात 12 बजे तक नहीं दिया बकाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया देनदारी मामले में डीओटी के एक अधिकारी के पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग व टेलीकॉम कंपनियों को जमकर लताड़ लगाई। टेलीकॉम कंपनियों व दूरसंचार विभाग (डीओटी) की हीलाहवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर उसके आदेशों की इस तरह अवमानना होती है और लगता है कि देश में कानून नहीं रह गया है तो क्या कोर्ट को बंद कर दिया जाए। इस टिप्पणी के बाद तुरंत हरकत में आए डीओटी ने अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर मामले का पूरा बकाया शुक्रवार रात 12 बजे से पहले-पहले भुगतान कर देने का फरमान जारी किया। भारती एयरटेल ने 10 हजार करोड़ रुपये एक सप्ताह के भीतर और बाकी रकम इस मामले की अगली सुनवाई (17 मार्च) से पहले करने का वादा किया। अन्य टेलीकॉम कंपनियों ने समय-सीमा बीत जाने के बाद तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के वक्त भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज, एमटीएनएल, बीएसएनएल, रिलायंस कम्यूनिकेशंस तथा अन्य टेलीकॉम कंपनियों के एमडी को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया अदा करने के उसके आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने तथा टालमटोल का रवैया अपनाए जाने पर टेलीकॉम कंपनियों के साथ डीओटी को जमकर खरी-खोटी सुनाई। बहुत ही सख्त लहजे में कोर्ट ने कहा - अगर सरकार का एक डेस्क आफिसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा सकता है तो हमें कोर्ट बंद कर देना चाहिए.. क्या इस देश में कानून नहीं रह गया है, तो फिर अच्छा होगा कि हम देश छोड़कर चले जाएं।

कोर्ट ने कंपनियों को भी चेतावनी दी कि बकाया नहीं जमा करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच, सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सफाई दी है कि डेस्क ऑफिसर ने आदेश जारी करने के लिए टेलीकॉम मंत्रालय के सचिव या मंत्री से इजाजत नहीं ली थी। ऑफिसर को इसके लिए नोटिस जारी किया गया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर तथा जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने डीओटी के डेस्क आफिसर के 23 जनवरी के आदेश पर गहरा क्षोभ प्रकट किया। इसमें टैक्स अधिकारियों से कहा गया था कि वे एजीआर बकाया भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करें। पीठ ने कहा, 'एक डेस्क आफिसर अकाउंटेंट जनरल को चिट्ठी लिख रहा है, जबकि दूसरा संवैधानिक प्राधिकारी कह रहा है कि न तो टेलीकॉम कंपनियों से पैसा वसूलने का दबाव डाला जाना चाहिए और न ही किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह और कुछ नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश को अंगूठा दिखाना है। अगर एक डेस्क आफिसर कोर्ट के आदेश को धता बता सकता है तो बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए।'

वोडाफोन आइडिया पर संकट पेज>>12

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

भारती एयरटेल ने एक सप्ताह के भीतर 10 हजार करोड़ रुपये देने का किया एलान, बाकी कंपनियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं

वोडाफोन आइडिया पर सबसे ज्यादा बकाया

टेलीकॉम कंपनियों पर बकाया 1.47 लाख करोड़ की रकम में 92,642 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस के, 55,054 करोड़ रुपये स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के हैं। वोडाफोन आइडिया पर सर्वाधिक 28,309 करोड़ लाइसेंस फीस और 24,729 करोड़ एसयूसी के बाकी हैं। पिछले हफ्ते वोडाफोन के सीईओ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में स्थिति काफी पेचीदा हो गई है।

भारती एयरटेल और अन्य कंपनियों की देनदारी

भारती एयरटेल पर लाइसेंस फीस के 21,882 करोड़ और एसयूसी के 13,904 करोड़ बाकी हैं। टाटा टेलीसर्विसेज पर लाइसेंस फीस की 9,987 व एसयूसी की 3,836 करोड़ रुपये की देनदारी है। अन्य कंपनियों पर अपेक्षाकृत छोटी रकमों की देनदारी है। रिलायंस जियो एकमात्र कंपनी है जो 60 करोड़ रुपये का अपना बकाया अदा कर चुकी है।

घटनाक्रम

- सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल तक चली अदालती लड़ाई के बाद पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) को लेकर डीओटी की परिभाषा को सही ठहराते हुए भारती एयरटेल और वोडाफोन समेत 15 टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज के रूप में 1.47 लाख करोड़ रुपये की बकाया रकम 23 जनवरी तक दूरसंचार विभाग को अदा करने करने का आदेश दिया था।
- भारती एयरटेल और वोडाफोन ने कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे जनवरी के मध्य में कोर्ट ने खारिज कर दिया
- टेलीकॉम कंपनियों के लिए बकाया भुगतान करने की समय-सीमा 23 जनवरी को खत्म हो गई, लेकिन उसी दिन डीओटी के एक अधिकारी ने पत्र जारी कर बकाया भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश जारी कर दिया

पुलवामा आतंकी हमले पर चढ़ा सियासी पारा

राहुल गांधी ने पूछा, किसे फायदा हुआ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी भी सियासी आरोपों-सवालों के तीर से बच नहीं पायी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सरीखे विपक्षी नेताओं ने हमले की एक साल में जांच रिपोर्ट नहीं आने पर सवाल उठाया। राहुल ने सरकार पर यह सवाल दागते हुए सियासी पारा चढ़ा दिया कि इस आतंकी हमले का फायदा किसको मिला? ध्यान रहे कि ऐसे ही सवाल कांग्रेस ने हमले के वक्त भी उछाले थे।

राहुल ने शुक्रवार को ट्वीट कर पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को याद किया लेकिन दूसरी लाइन से ही सवालों की झड़ी लगा दी। राहुल ने कहा, 'आज जब हम पुलवामा में 40 शहीदों को याद कर रहे हैं तो हमें यह सवाल पूछना चाहिए। पहला सवाल कि इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? दूसरा इस हमले की जांच का निष्कर्ष क्या निकला है? तीसरा यह कि भाजपा सरकार में इस सुरक्षा चूक के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसकी वजह से हमले को अंजाम दिया गया?'

राहुल गांधी फाइल

कांग्रेस ने एक साल बाद भी हमले की जांच रिपोर्ट नहीं आने पर केंद्र को घेरा

राहुल के इन सवालों पर भाजपा के पलटवार पर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सरकार बताए कि आखिर सीमा पार से 350 किलो आइडी विस्फोटक कौन लेकर आया? ऐसे हमले की आशंका वाली खुफिया रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की गई? यह भी पूछा कि आतंकी को अपनी कार में ले जाते पकड़े गए डीएसपी देविंदर सिंह की इसमें कहीं कोई भूमिका तो नहीं थी।

सीताराम येचुरी ने भी शहीदों को नमन करते हुए कहा, भाजपा और पीएम मोदी ने चुनाव में शहीदों के नाम पर वोट मांगा, पर सवाल यह है कि जिन शहीदों ने देश की खातिर कुर्बानी दी उनके परिवारों को सहारा देने के लिए क्या किया गया है? येचुरी ने भी हमले की जांच रिपोर्ट नहीं आने और खुफिया विफलता से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी तय कर उन पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सरकार को घेरा।

दिखती है आतंकियों से हमदर्दी : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अवसर पर भी सरकार पर अंगुली उठा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा ने लश्कर और जैश का समर्थक करार दिया। पार्टी प्रवक्ता व सांसद जीवीएल नरसिंह राव ने सीधा आरोप लगाया कि इतिहास में ऐसे तथ्य भरे पड़े हैं जिससे आतंकवादियों के प्रति राहुल का प्रेम झलकता रहा है। वहीं प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल जो कुछ बोल रहे हैं इससे केवल पाकिस्तान को बल मिलता है।

शुक्रवार को पुलवामा की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं की उनकी शहादत को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने शहीदों को अभूतपूर्व करार देते हुए कहा, 'उन्होंने अपनी जान देकर देश की रक्षा की। उन्हें देश कभी नहीं भूलेगा।' राहुल के ट्वीट के तत्काल बाद जीवीएल ने राहुल की मंशा को कठघरे में घेरते हुए कहा कि पूरा देश जब शहीदों को नमन कर रहा है तो राहुल सरकार ही नहीं शहीदों पर भी उंगली उठा रहे हैं। 'दरअसल राहुल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद के हमदर्द हैं और यह हर कोई जानता है।' जीवीएल ने याद दिलाते हुए कहा कि विकीलीक्स से यह बात सामने आई थी कि राहुल ने तत्कालीन अमेरिकी राजदूत से कहा था कि भारत को इस्लामिक आतंकियों से नहीं, भारत के कुछ सांप्रदायिक संगठनों से खतरा है। इसी तरह समझौता एक्सप्रेस मामले में अमेरिकी खुफिया ने भी पाया था कि इसे इस्लामिक आतंकी संगठनों से फंड किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे 'हिंदू आतंक' का नाम दे दिया था। बाद में कोर्ट में उसे खारिज कर दिया। जीवीएल ने कहा कि राहुल अभी भी वही कर रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि उनके मन में पाकिस्तानी आतंकियों के लिए हमदर्दी है। शाहनवाज हुसैन ने भी वार किया। उन्होंने कहा,'कांग्रेस पहले भी ऐसा करती रही है और जनता ने उसको सबक भी सिखाया है। राहुल जैसे नेताओं के बयान से पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की लड़ाई को कमजोर करता है।'

जीवीएल नरसिंह राव

भाजपा नेताओं ने कहा, आतंकियों के प्रति राहुल का प्रेम झलकता रहा है

दिल्ली, एनसीआर में अब 24 घंटे हो सकेगा निर्माण कार्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने हवा साफ होने को देखते हुए अपने आदेश में किया बदलाव
- कोर्ट ने शाम छह से सुबह छह बजे तक निर्माण पर लगा रखी थी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर में शाम छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक निर्माण कार्य पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने प्रदूषण की वर्तमान स्थिति और हवा की स्वच्छता को देखते हुए रात में निर्माण पर लगी पाबंदी हटा ली है। रोक का आदेश हटने के बाद धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्य के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस आदेश का असर न सिर्फ प्रगति मैदान और चांदनी चौक में निर्माण पर पड़ेगा, बल्कि आवासीय और व्यावसायिक परियोजना बनाने में जुड़े बिल्डरों को भी राहत मिलेगी, जिनके निर्माण की समयसीमा बीती जा रही थी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण मामले में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आइटीपीओ) की ओर से दाखिल अर्जी पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। गत सोमवार को आइटीपीओ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रोक का आदेश हटाने की मांग वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। इसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शुक्रवार को वायु प्रदूषण से संबंधित केस सुन रही पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगाया था। शुक्रवार को मेहता ने कोर्ट से आइटीपीओ में बन रहे अंडर पास के निर्माण के लिए शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लगी रोक हटाने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, प्रदूषण की स्थिति और हवा की स्वच्छता को देखते हुए वह सभी के लिए पाबंदी हटा रही है। आदेश का बड़ा असर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण पर भी पड़ेगा। कोर्ट की रोक के कारण उसका काम धीमा हो गया था, जो फिर रफ्तार पकड़ेगा।

निर्माण पर लगी रोक पूरी तरह समाप्त : सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर दिल्ली, एनसीआर में निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट देखने व प्रदूषण स्तर में कमी आने पर दिन में निर्माण की इजाजत दे दी थी लेकिन रात में रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अब दिल्ली, एनसीआर में निर्माण पर लगी रोक पूरी तरह समाप्त कर दी है।

फांसी की सजा पर सुनवाई की समय सीमा तय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अब फांसी की सजा पाए अपराधियों की सुप्रीम कोर्ट में अपील अनिश्चितकाल तक नहीं लटकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के मामलों में अपील पर सुनवाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें ऐसे मामलों में छह माह के भीतर सुनवाई करने की समयसीमा तय की है। अभी तक किसी अपील को स्वीकारने के बाद भी सुनवाई होने में वर्षों तक की देरी हो जाती थी। निर्भया मामले को लटकाने की दोषियों की चाल के मद्देनजर यह अहम कदम है।

सुप्रीम कोर्ट के तय दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जिन मामलों में हाई कोर्ट ने फांसी की सजा पर मुहर लगा दी हो और हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया हो, उन याचिकाओं को छह माह के अंदर तीन जजों की पीठ के सामने सुनवाई पर लगाया जाएगा। इसके अलावा जिन मामलों में फांसी की सजा के खिलाफ दोषी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की जाती है, उनमें एसएलपी दाखिल होते ही सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री उस न्यायालय को संदेश भेजकर केस से जुड़े प्रमाणपत्र व मूल रिकॉर्ड 60 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट भेजने को कहेगी। या फिर जो समय सुप्रीम कोर्ट तय करे उसके भीतर रिकॉर्ड भेजने के लिए कहेगा। जैसे ही कोर्ट अपील सुनवाई के लिए स्वीकार करता है वैसे ही रजिस्ट्री पक्षकारों से दस्तावेज दाखिल करने को कहेगी और पक्षकार रजिस्ट्री के सूचित करने के 30 दिन के भीतर दस्तावेज दाखिल कर देंगे। रिकॉर्ड प्राप्त न होने या अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल न होने की स्थिति में उस केस की आफिस रिपोर्ट जज के सामने रखी जाएगी। निर्भया कांड के दोषियों की फांसी में देरी पर चर्चा व लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठने की दलीलों के बीच कोर्ट के इस प्रयास को त्वरित न्याय की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

- अब अनिश्चितकाल तक नहीं लटकेगी ऐसे मामलों में अपील पर सुनवाई
- निर्भया मामले को लटकाने की दोषियों की चाल के मद्देनजर अहम कदम

कई अमेरिकी उत्पादों के लिए खुला देश का बाजार

नई दिल्ली, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों को अंजाम दिया जायगा। सूत्रों के मुताबिक, भारत ने डेयरी और पोल्ट्री बाजार में अमेरिका को सीमित प्रवेश देने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका से चिकन लेग, टर्की-ब्लूबेरी व चेरी जैसे उत्पादों के आयात पर शुल्क में छूट की पेशकश की गई है। डेयरी मामले में भी कुछ शुल्क और कोटा के तहत भारतीय बाजारों में पहुंच दी जा सकती है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। कृषि व पोल्ट्री जैसे कार्यों में लगे आठ करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए देश में इनके आयात को हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन ट्रंप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ व्यापक व्यापार समझौता करना चाहते हैं। इसलिए डेयरी व पशुपालन जैसे घरेलू बाजार में भी अमेरिका को सीमित पहुंच देने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भारत ने जब अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों पर पाबंदी लगाई थी, तो ट्रंप ने भारत को विशेष व्यापार दर्जा से बाहर करने का फैसला कर लिया। इससे दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों में कड़वाहट देखने को मिली थी। ज्ञात हो, भारत से द्विपक्षीय कारोबार के मामले में अमेरिका चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

भारत यात्रा के दौरान ट्रंप भारतीय कारोबारियों से भी मिलेंगे। इस दौरान वे उन्हें अमेरिका में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि 25 फरवरी को प्रस्तावित इस भेंट में अमेरिकी कारोबारियों के भाग लेने की संभावना नहीं है। वर्ष के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं ऐसे में ट्रंप रोजगार के मुद्दे पर बेहतर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भारतीय कारोबारी आनंद महिंद्रा ने अमेरिका में 100 करोड़ डॉलर (करीब 7,000 करोड़ रुपये) निवेश करने की बात कही थी।

- डेयरी और पोल्ट्री बाजार में अमेरिकी कंपनियों को मिल सकता है प्रवेश
- 24-25 फरवरी को ट्रंप होंगे भारत यात्रा पर, आपसी कारोबार में सुधार की उम्मीद

अमेरिका ने कहा, पूरी करेंगे भारत की ऊर्जा जरूरतें पेज>>3

नया विवाद

मोदी सरकार के साथ बंगाल के साथ टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोलकाता एयरपोर्ट टर्मिनल की मौजूदा क्षमता सालाना दो करोड़ 20 लाख यात्रियों की है

कोलकाता एयरपोर्ट के विस्तार पर केंद्र-ममता के बीच रार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ बंगाल की ममता सरकार का टकराव खत्म नहीं हो रहा है। अब कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर टकराव शुरू हो गया है। बंगाल सरकार ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन देने से साफ इन्कार कर दिया है।

दरअसल, प्रतिवर्ष कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट के विस्तार की आवश्यकता है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोलकाता के आसपास जमीन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन कुछ दिन पहले बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह को साफ कह दिया कि कोलकाता में जमीन का प्रबंध करना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने इसके बदले विकल्प के तौर पर दुर्गापुर में अंडाल एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन केंद्र इसे मानने को तैयार नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोलकाता से अंडाल की दूरी काफी अधिक है। केंद्र व राज्य सरकार के बीच इस टकराव से अब कोलकाता एयरपोर्ट के विस्तार का मामला लटकता दिख रहा है। इस बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि वह जमीन की व्यवस्था नहीं कर सकता। राज्य सरकार को ही इसकी व्यवस्था करनी होगी।

यात्रियों की संख्या के मद्देनजर विस्तार जरूरी : इस समय कोलकाता एयरपोर्ट के टर्मिनल की क्षमता सालाना दो करोड़ 60 लाख यात्रियों की है। इस समय दो करोड़ 30 लाख यात्री आवाजाही कर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक कौशिक भट्टाचार्य का कहना है कि आने वाले समय में वर्तमान टर्मिनल का ही विस्तार किया जाएगा। रनवे और टर्मिनल की क्षमता को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जो कुछ वर्षों तक चल सकता है। उन्होंने कहा कि 2014 तक इस एयरपोर्ट से एक करोड़ यात्रियों की आवाजाही थी, जो पिछले पांच वर्षों में बढ़कर दोगुनी से अधिक हो गई है। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह यात्रियों की संख्या बढ़ती रही तो एयरलाइंसों को जगह उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक एयरपोर्ट की आवश्यकता होगी। दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद समेत कई बड़े शहरों में वैकल्पिक एयरपोर्ट की तैयारी का काम शुरू हो चुका है, सिर्फ कोलकाता को लेकर समस्या है। अरविंद सिंह का कहना है कि पिछले साल दिसंबर में ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बाबत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बंगाल के मुख्य सचिव से बात की थी। उस समय भी राज्य सरकार की ओर से जमीन नहीं देने की बात कही गई।

- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन देने से ममता सरकार ने किया साफ इन्कार
- राज्य ने विकल्प के तौर पर अंडाल एयरपोर्ट का दिया प्रस्ताव, केंद्र सरकार को मंजूर नहीं

ममता बनर्जी फाइल फोटो

कोलकाता से 180 किमी दूर है अंडाल

एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अरविंद सिंह का कहना है कि विकल्प के तौर पर अंडाल के बारे में राज्य की ओर से कहा जा रहा है। वह कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर है। दुनिया में कहीं भी वैकल्पिक एयरपोर्ट तैयार हो रहा है तो उसकी दूरी मुख्य एयरपोर्ट से 50-60 किमी की होती है ताकि यात्रियों को वहां पहुंचने में सहूलियत हो।

तबादले के विरोध में बांबे हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज ने दिया इस्तीफा

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि वह व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से महाराष्ट्र से बाहर तबादला नहीं चाहते हैं। शुक्रवार को धर्माधिकारी ने पत्रकारों से कहा, मैंने इसलिए त्यागपत्र दिया, क्योंकि मुझे किसी अन्य राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। मैंने विशुद्ध निजी कारणों से त्यागपत्र दिया है। मैं मुंबई नहीं छोड़ना चाहता हूं और वे लोग मुझे बांबे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को तैयार नहीं हैं। मैंने त्यागपत्र गुरुवार शाम राष्ट्रपति को भेज दिया है। हालांकि, यह पता नहीं चल सका है कि उनका त्यागपत्र मंजूर हुआ है या नहीं।

जस्टिस सत्यरंजन धर्माधिकारी शुक्रवार को अदालत पहुंचे तो एक वकील उनके पास एक मामले की तत्काल सुनवाई के लिए पहुंचा। उन्होंने कहा, मैंने पद से इस्तीफा दे दिया है। आज अदालत में मेरा आखिरी दिन है। 17 फरवरी से वह अदालत में उपलब्ध नहीं होंगे। अदालत कक्ष में मौजूद वकील मैथ्यू नेदुमपारा ने कहा कि जब जस्टिस धर्माधिकारी ने अपने त्यागपत्र की बात कही, तो लगा कि वे मजाक कर रहे हैं। वे बहुत वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनका त्यागपत्र देना एक झटके की तरह है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस धर्माधिकारी वकीलों के परिवार में पैदा हुए हैं। उन्होंने 1983 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की। 14 नवंबर, 2003 को उन्हें मुंबई हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनाया गया था। वे 2022 में पद से सेवानिवृत्त होने वाले थे।

- कहा, व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहता
- जस्टिस धर्माधिकारी को किसी अन्य राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था